

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	आवेदक श्री संजय कटारे, सागर को वन मंडल उत्तर सागर के परिक्षेत्र मालथौन के वन कक्ष क्रमांक RF- 112 में फर्शी-पत्थर उत्खनन हेतु खदान के नवीनीकरण करने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--


(सुनील अग्रवाल)

भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

तिथि: 07 / 11 / 2019

स्थान: भोपाल